राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर – 19, नार्थ ब्लॉक
नवा रायपुर अटल नगर, (छत्तीसगढ) पिन–492002
दूरभाष–0771–2511285, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com

क्रमांक / एनएचएम / एचआर / 2024 / 1269/1747 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4/10/2024

–::दिशा–निर्देश::–

1.– आवेदन पत्र के संबंध में

- आवेदक द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जावेगें।

2.– आयु सीमा

- जनवरी 2024 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2024 से की जावेगी।
  (**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018** के सभी नियम व शर्ते के अनुसार लागू होंगे)।

3– दस्तावेज परीक्षण के समय निम्न अभिलेखो के साथ अभ्यार्थियों को होना अनिवार्य है–

- 10 वीं / 12 वीं की अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु)
- स्नातक एवं स्नाकोत्तर परीक्षा व समस्त वर्षो की अंकसूची
- इंटर्नशीप की प्रति।
- संबंधित डिग्री (स्थायी / अस्थायी) प्रमाण पत्र की प्रति।
- छ.ग. मेडिकल कौंसिल में जीवित पंजीयन (स्थायी / अस्थायी) प्रमाण पत्र की प्रति।
- एम.सी.आई / एन.बी.ई. परिणाम प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- विकलांगता प्रमाण पत्र(यदि लागू हो तो)।
- स्वयं पहचान पत्र (I.D- Proof) , Passport size Photo(1) एवं Address proof
- **अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन 650/– शुल्क हेतु Demand Draft राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला रायपुर के नाम से देय होगा।**
- उक्त अभिलेखों का एक स्वाप्रमाणित सेट अभ्यार्थियों को दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

4– भर्ती के संबंध में सामान्य शर्ते एवं दिशा–निर्देश–

1. पदों का विवरण तथा कार्यस्थल की जानकारी दस्तावेज परीक्षण के समय राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में उपलब्ध कराई जावेगी।
2. पदों की सख्या एवं स्थान में परिवर्तन अपेक्षित है।
3. विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारी संविदा पद हेतु सिर्फ पीजीएमओ / एमडी / एमएस / डीएनबी / एमबीबीएस एवं अन्य समतुल्य योग्यताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते है।

क्रमशः................02

4. अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता (अंकसूची/सर्टिफिकेट) शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से होना अनिवार्य है।
5. शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है, उस संस्था का यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।
6. अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति पश्चात् 45 दिवस के भीतर पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कराकर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
7. अनुबंधित छात्र आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगें। अनुबंध पूर्ण होने के पश्चात् ही अनुबंध समाप्ति सर्टिफिकेट संलग्न करते हुए आवेदन कर सकेंगें।
8. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में पांच पदस्थापना स्थल का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। उक्त पांच पदस्थापना स्थलों में पद रिक्त होने की दशा में नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।
9. विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारियों की **दस्तावेज परीक्षण माह की 10 एवं 11 तारीख** को प्रातः 11.00 बजे आयोजन किया जावेगा। किसी **माह की 10 एवं 11 तारीख** को शासकीय अवकाश होने की स्थिति में उक्त **दस्तावेज परीक्षण** का आयोजन आगामी कार्य दिवस को किया जावेगा।
10. दस्तावेज परीक्षण हेतु चिकित्सकों की पृथक से सूची जारी की जावेगी।
11. दस्तावेज परीक्षण उपरांत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत चिकित्सकीय आवश्यकता एवं पद की रिक्तता के आधार पर पदस्थापना हेतु नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।
12. ऑनलाईन आवेदन करने मात्र से किसी का नियुक्ति सुनिश्चित नहीं होगा। आदेश जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसमें सही पाये जाने पर ही उनके पदस्थापना हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
13. दस्तावेज परीक्षण में शमिल होने के लिये अभ्यार्थियो को आवागमन हेतु कोई व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।
14. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डिफरेन्सियल सैलरी पैकेज अनुसार संविदा पद हेतु एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी। डिफरेन्सियल सैलरी पैकेज में सभी प्रकार के अतिरिक्त प्रोत्साहन सम्मिलित है, अतः सी.आर.एम.सी. क्षेत्र में पृथक से सी.आर.एम.सी. की राशि देय नहीं होगी।
15. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डिफरेन्सियल सैलरी पैकेज के तहत कार्य करने वाले चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।
16. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्यमूल्यांकन किया जायेगा। कार्यमूल्यांकन संतोषजनक होन की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है।
17. चयनित अभ्यर्थी की कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का मानदेय जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के एक माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा अन्यथा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।

कमशः.................03

18. संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।

19. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (टीपः– स्थायी जाति प्रमाण–पत्र धारक पात्र होंगे।)

20. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

21. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गयी है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।

22. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।

23. उपरोक्त समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही अभ्यर्थी को आबंटित पदस्थापना स्थल में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान किया जायेगा।

(मिशन संचालक, एन.एच.एम., द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़